

खुद को मजबूत बनाओं, जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी।

- अज्ञात

संप्रभुता का हिस्सा

समझौते में 'दो पहचानों के अपनी संप्रभु शक्ति साझा करते हुए समावेशी, शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व' की बात कही गई थी और इस आधार पर यह सहमति बनी थी कि 'नगा भारत के साथ रहेंगे, पर उसमें विलीन नहीं होंगे।

नवीन वर्मा।

नैशनल सोशललिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (इसाक-मुइवा) के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि नगा झंडा और अलग संविधान को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह नगा संप्रभुता का हिस्सा है। उनका कहना है कि इस बात को 2015 के उस फ्रेमवर्क समझौते में भी स्वीकार किया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए थे। उनके मुताबिक उस समझौते में 'दो पहचानों के अपनी संप्रभु शक्ति साझा करते हुए समावेशी, शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व' की बात कही गई थी और इस आधार पर यह सहमति बनी थी कि 'नगा भारत के साथ रहेंगे, पर उसमें विलीन नहीं होंगे।'

दिल्ली में इसी हफ्ते उस फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर ही अंतिम समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत होनी है। दिलचस्प बात यह कि जिस फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर इतना कुछ कहा-सुना जा रहा है, उसे आज तक देश के सामने रखा ही नहीं गया है। 1997 से चली आ रही 18 वर्षों की बातचीत के बाद जब 3 अगस्त 2015 को इस पर हस्ताक्षर हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि यह एक समस्या की समाप्ति का ही नहीं बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत का मौका है।

बावजूद इसके, समझौते को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। नतीजा यह कि आज पांच साल बाद भी देशवासी इससे पूरी तरह अनजान हैं कि इसमें दोनों पक्षों

ने किन-किन बातों पर किस रूप में सहमति जताई है। पांच साल बाद अब समझौते से जुड़ा एक पक्ष अगर यह कह रहा है कि उसे अलग संप्रभु शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है तो इसके दूसरे पक्ष के रूप में केंद्र सरकार को ही आगे आकर स्पष्ट करना होगा कि कही जा रही बात सही है या नहीं, और क्या इसके आधार पर नगा पक्ष अलग झंडा, अलग संविधान की मांग कर सकता है। भारतीय संप्रभुता का जो स्वरूप हम बीती आधी सदी से देखते आए हैं, उसमें भारत के भीतर मौजूद किसी भी राजनीतिक इकाई के लिए भारतीय संविधान से इतर कोई और संविधान अपनाना संभव नहीं है। तिरंगे से अलग झंडे भी राजनीतिक दलों के हुआ करते हैं, राज्यों के नहीं। लेकिन थुइंगलेंग मुइवा ने यह विवादित

बयान 14 अगस्त को कथित नगा आजादी के मौके पर नीले रंग का नगा झंडा फहराने के बाद दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद जनसंघ के स्थापना काल से ही 'दो विधान दो निशान' का विरोध उसकी पहचान हुआ करता था, जो फिर बीजेपी की भी पहचान बना।

इस भावना के तहत ही पिछले साल जम्मू-कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। इसे देखते हुए लगता तो नहीं कि मोदी सरकार ने नगा पक्ष के साथ ऐसा कोई समझौता किया होगा। फिर भी पूरी बात स्याह-सफेद में देश के सामने रख दी जाए तो अच्छा रहेगा। सरकार का रुख शुरू से स्पष्ट रहा तो इस हफ्ते होने वाली बातचीत भी अधिक यथार्थपरक रहेगी।

संयोग

अशोक बोहरा।

हम एक सामान्य जीव हैं। और इस सृष्टि में करोड़ों-अरबों जीव हर क्षण मरते और जन्म लेते हैं। उनमें से हम भी एक हैं होने को तो सभी जीव उनमें से एक हैं लेकिन वे किसी तिकड़म का संयोग से किसी बड़े पद पर पहुँच जाते हैं तो फिर उनके मरने पर उस समाज, देश-दुनिया की अपूरणीय क्षति होती है धृपता नहीं, वह क्षति पूरी होती है या नहीं लेकिन दुनिया बदस्तूर चलती रहती है। अटल जी के निधन की घोषणा 16 अगस्त को हुई यदि उनका निधन 15 अगस्त को होता तो भी देश का स्वाधीनता दिवस बदलता नहीं क्योंकि भी प्रधान मंत्री होता वह उस 15 अगस्त को झंडा भी फहराता। हो सकता है कोई कलाकार प्रधानमंत्री होता तो एक आँख से गर्व के साथ राष्ट्र को संबोधित करता और एक आँख से रोने का अभिनय करता।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

सामाजिक विमर्श जरूरी

यह गर्वोक्ति कि संस्कृत भाषा का साहित्य लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों के कुल साहित्य को जोड़ने से भी अधिक ही ठहरेगा, न केवल राष्ट्रीय दस्तावेज से अनपेक्षित है बल्कि मैकाले के उस कथन का बदला लेने जैसा लगता है जिसमें वह कहता है कि कुल भारतीय साहित्य किसी भी स्तरीय यूरोपियन पुस्तकालय के दो टाल से अधिक जगह नहीं लेगा। 'सा विद्या या विमुक्तये' के भाव में ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज करते हुए यह नीति हमें वास्तव में किस ओर ले जाएगी, इसका फैसला इस नीति में व्यक्त किए गए शब्दों और भावों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे न केवल अकादमिक चिंता का केंद्र होना चाहिए बल्कि इस पर एक व्यापक सामाजिक विमर्श भी रचा जाना चाहिए। शिक्षा और उससे जीवन-यापन की क्षमता के लिहाज से देखा जाए तो नौकरियों और अवसरों तक पहुंच की भाषा आज भी बहुतायत में अंग्रेजी ही है। यह नीति भी मानती है कि बच्चों की 85 प्रतिशत क्षमताओं का विकास छोटी आयु में ही हो जाता है। ऐसे में बच्चा केवल मादरी जवान में ही पांचवीं कक्षा तक पढ़ेगा तो बाकी जुबानों और प्रतियोगिता की भाषा में कैसे कुशलता प्राप्त करेगा? पूरे विमर्श में कई भारतीय भाषाओं के सीखने, यहां तक कि विदेशी भाषाओं के सीखने पर जोर दिया गया है। कई भाषाओं के विलुप्त होने की चिंता जाहिर की गई है। ऐसे में उर्दू भाषा की अनुपस्थिति संयोग मात्र न लगकर सुनियोजित लगने लगती है।

शिक्षा को लेकर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च हो, यह बात कोठारी आयोग ने 1966 में कही थी लेकिन तब से शिक्षा पर कुल खर्च जीडीपी के चार प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा है।

देशज ज्ञान का महिमामंडन

नवनील शर्मा।

'प्राचीन', 'सनातन' भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनकी बात शिक्षा जगत दशकों से जोह रहा था। बहुत सारे महत्वाकांक्षी दस्तावेज इस नीति के पहले भी शिक्षा के लिए बने पर उन्हें अपेक्षित वित्तीय आवंटन नहीं हो पाया। शिक्षा को लेकर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च हो, यह बात कोठारी आयोग ने 1966 में कही थी लेकिन तब से शिक्षा पर कुल खर्च जीडीपी के चार प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा है। पिछले 2-3 वर्षों में तो यह दो से तीन प्रतिशत के बीच ही रहा है। इस आधार पर देखें तो शिक्षा के बजट में यदि अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है तो यह शिक्षा नीति भी पिछली नीतियों की ही गति को प्राप्त हो सकती है।

इस शिक्षा नीति का मसौदा जब जारी हुआ था तो देश भर में उसकी व्यापक आलोचना हुई थी। तब यह चिंता भी जताई गई थी कि पूरा मसौदा संविधान और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों से गुरेज करते हुए शिक्षा और ज्ञान के देशज स्वरूप के महिमामंडन के लिए ज्यादा उत्साहित है। सुझाव चाहे कितने भी बड़े पैमाने पर आमंत्रित किए गए हों, इस पहलू में कोई बदलाव नहीं किया गया



है। 102 के शिक्षा ढांचे को 5334 में बदलने का सुझाव क्रांतिकारी और नया लगता तो है, पर इसके समर्थन में ठोस अकादमिक विमर्श पूरे मसौदे से गायब है। स्कूलीकरण के क्रम में पहली मुख्य परीक्षा का सामना तीसरी कक्षा में ही करना राज्य के शिक्षा नीति निर्माण और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास में तो सहायक हो सकता है पर विद्यार्थी का कम आयु में ही 'फेल-पास' जैसी अवधारणाओं से दो-दो हाथ करना उसपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाएगा।

बच्चे 102 के पैटर्न में पहले ही परीक्षा के मनोवैज्ञानिक दबाव तले इतने दबे हैं कि उसे झेल नहीं पाते और इसकी परिणति अक्सर बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद होने वाली किशोर आत्महत्याओं में देखने को मिलती है। ऐसे में यह नया पैटर्न (5334) विद्यार्थियों पर परीक्षा के दबाव

को कम करने के बजाए उन्हें हमेशा परीक्षाई और प्रतियोगी माहौल में ही रहने को मजबूर करेगा। वर्तमान स्कूली प्रक्रिया में अध्यापक वस्तुतः साप्ताहिक, मासिक, अर्द्धवार्षिक और सालाना स्तर पर परीक्षा एवं मूल्यांकन के क्रम में ही जुटे रहने के कारण पढ़ाई को रुचिकर और बाल केंद्रित बनाने के बजाए परीक्षोपयोगी ज्ञान के हस्तांतरण में ही लगे रहते हैं। ऐसे में आसार यही है कि यह नया पैटर्न इस प्रवृत्ति को कम करने के बजाय इसे और मजबूती देगा।

विविधताओं को लेकर इस मसौदे में खास संवेदनशीलता दिखती है। कई जगह विविधताओं का उल्लेख किया गया है जो स्वागत योग्य है। भारत में इतनी भिन्नताएं हैं और शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण इसकी व्यवस्था और ढांचे में इतनी बहुलताएं हैं कि शिक्षा पर कोई भी केंद्रीकृत चिंतन, मनन और नीति निर्माण उत्साहवर्द्धक जरूर होता है पर उसके धरातल तक पहुंचने को लेकर शंकाएं बनी रहती हैं। कई संदर्भों में यह नीति परिवर्तन के संकेतक समेटे हुए है पर उनकी गहन पड़ताल अकादमिक जगत में परिचर्चा का केंद्र बननी चाहिए। उदाहरण के लिए एस्का-कॉम्प्लेक्स (परिसर) को लें। नीति यह रेखांकित करती है कि यह विचार कोठारी आयोग की रिपोर्ट से लिया गया है, परंतु इस समय जो बात कही जा रही है वह नवउदारवादी आर्थिकी से अभिप्रेरित है।

सूडोकू नवताल-5445				****★ मध्यम			
8	1			2	5		
2							9
5		1		7	4		
9	5		4				2
		3	9	6	7		
	7		8			1	5
		7	2		5		1
6							7
1	5					6	9

सूडोकू नवताल-5444 का हल							
5	9	4	2	3	6	1	8
8	7	3	1	4	5	2	9
6	1	2	8	7	9	3	5
1	6	7	9	8	2	4	3
3	8	5	4	1	7	6	2
2	4	9	6	5	3	7	1
7	5	6	3	9	1	8	4
4	2	1	5	6	8	9	7
9	3	8	7	2	4	5	6

अपना ब्लॉग 'सर्वोत्तम' इस्तेमाल के लिए कटिबद्ध

मोहन। एक वरिष्ठ स्तरीय स्कूल को आस-पास के स्कूलों का 'मेंटर' बना देने का मामला नहीं है, बल्कि अब अध्यापकों की नियुक्ति (कम से कम खेल, संगीत और कला के अध्यापक) इस क्लस्टर के लिए होगी। हां, चुनावी ड्यूटी से अध्यापकों की मुक्ति की पैरोकारी करती यह नीति अध्यापकों के 'सर्वोत्तम' इस्तेमाल के लिए कटिबद्ध लगती है जो अपने आप में अच्छी बात है। बच्चे की भाषा और ज्ञान के सरोकार को लेकर 'मातृभाषा' के प्रति सम्मान इस नीति में विपुल मात्रा में उमड़ता दिखता है। यह दस्तावेज कहीं-कहीं 'घर की भाषा' जैसे पदांश का भी प्रयोग करता है। लेकिन राष्ट्रीय दर्जे के दस्तावेज से अपेक्षा की जाती है कि वह वैश्विक विमर्श से परिचित हो और उसके प्रति संवेदनशील भी हो। साथ ही अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन जैसी अवधारणाओं के ही नहीं, दिव्यांगों और वंचितों के संदर्भ में भी इसे विश्लेषित किया जाना चाहिए।

